राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष नं : 0141–2709846 E-mail: spdrmsaraj@gmail.com, rajrmsamonitoring@yahoo.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प. / जय / योजना / 2015–16 / 13307 दिनांक : 18/8/2015

समस्त प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय,

विषय :– आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार इस विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में चयन किया गया है। विद्यालय को आदर्श के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक है कि उसमें सम्पूर्ण आधारभूत सुविधा, शैक्षणिक माहौल तथा सुविधाऐं आदर्श विद्यालय के दिशा–निर्देश के अनुसार विकसित की जाये। इस हेतु विद्यार्थी कोष / विकास कोष के उपयोग के साथ–साथ जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों, दानदाताओं तथा Community से सहयोग लिया जाना भी अपेक्षित है।

एक आदर्श विद्यालय में निम्न कार्य पूर्ण कराये जावे –

1. प्रारम्भिक कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि तथा शत–प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करने हेतु इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को सुविधाऐं यथा खेलकूद का सामान, चोकी तथा ड्यूल डेस्क उपलब्ध करावें। इस हेतु विद्यालय के SDMC खाते में जमा राशि तथा छात्र कोष के बजट का उपयोग किया जा सकता है एवं भामाशाह व दानदाताओं का सहयोग लिया जाने के भी प्रयास किए जावें।
2. इस विद्यालय का सम्पूर्ण डेटा ऑनलाइन फीडिंग किया जा रहा है, जिसे विद्यालय द्वारा ही फीडिंग / अपडेशन किया जायेगा इसके लिये विद्यालय में कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्केनर तथा इन्टरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है इसके लिये यदि विद्यालय में उक्त सुविधा नहीं है तो विद्यालय में उपलब्ध कोष से अथवा भामाशाह से सहयोग लेकर क्रय करें, आईसीटी लैब नहीं है, तथा टेलीफोन / इन्टरनेट के मासिक बिल का भुगतान स्कूल ग्रान्ट से किया जावे।
3. यह अत्यावश्यक है कि विद्यालय का वातवारण सुन्दर व आकर्षक हो। इसके लिये रंग रोगन, आदर्श वाक्यों का लेखन, तथा वृक्षारोपण सौन्दर्यीकरण किया जाए।
4. प्रधानाध्यापक की विद्यालयों को सुन्दर बनाने की कोशिशें प्रत्येक परिसर में दिखनी चाहिए।
5. आदर्श विद्यालय की गाइड लाइन के बिन्दु संख्या 3.1.3.2 के अनुसार विद्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम एवं चौथे शनिवार अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी से स्वच्छता दिवस मनाया जाना है। यह देखने में आया है कि इस दिशा में समुचित कार्य नहीं किया जा रहा है। इसलिये दिनांक 22 अगस्त, 2015 को राज्यभर में यह अभियान आयोजित किया जावे तथा इसी दिन P.T.A. की बैठक आयोजित की जावे। आगामी माहों में भी इसे जारी रखते हुए प्रथम एवं अन्तिम शनिवार को श्रमदान कराया जाये।

6. सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सफाई हेतु शौचालय सहित 5000/– प्रति विद्यालय राशि जारी की जाती है। इस हेतु संस्थाप्रधान द्वारा वार्षिक आधार पर सफाई कार्य को अनुबंध दिया जावे। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति नहीं की जावे न ही मासिक भुगतान किया जावे। यदि सफाई हेतु 5000/– की राशि अपर्याप्त रहती है तो विकास कोष से भी भुगतान किया जा सकता है।
7. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के अनुसार कक्षा 1–8 तक में विद्यार्थी को सत्र पर्यन्त प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है इस संबंध में निदेशालय से निर्देश जारी किये गये हैं। चूँकि कक्षा 1–8 तक नामांकन के विद्यालयवार लक्ष्यों को प्राप्त करने करने तथा इन कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि हेतु सत्र पर्यन्त प्रवेश कार्य जारी रखा जावे।
8. विद्यालय में स्थापित आई.सी.टी. लैब का संचालन सुचारू रूप से करें। यदि फेज 1 के कम्प्यूटर खराब हैं तो विद्यालय के कोष से ठीक करवायें। फेज 2 एवं 3 के खराब कम्प्यूटर को सेवा प्रदाता एजेन्सी से सही करवायें।
9. आई.सी.टी. तृतीय चरण में सैटेलाइट के माध्यम से चल रही लाइव कक्षाओं का संचालन निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से जारी कलैण्डर के अनुसार संचालन सुनिश्चित करें।
10. विद्यालय में पदस्थापित समस्त शिक्षकों (संस्था प्रधान सहित) को आर.के.सी.एल. के माध्यम से कम्प्यूटर कोर्स कराने हेतु प्रेरित करें।
11. विद्यालय में प्रतिमाह एस.डी.एम.सी./एस.एम.सी. की पृथक–2 बैठकें आयोजित कर आदर्श विद्यालयों को विकसित करने की समीक्षा करें, यदि कोई कठिनाई आती है तो इस बैठक में उसका समाधान करें।

18/9/15
शासन सचिव
मा.शि. एवं आयुक्त